राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः प्रशि./म.स्वा.कार्य./एफ 46 पार्ट II/2015–16/ दिनांक :

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
अलवर/अजमेर/बांसवाडा/बाडमेर/भरतपुर/
बीकानेर/बून्दी/चित्तौडगढ/रतनगढ/धौलपुर/
डूंगरपुर/गंगानगर/जयपुर–प्रथम/जैसलमेर/
जालौर/झालावाड/झुन्झुनू/जोधपुर/करौली/
कोटा/नागौर/पाली/सीकर/सिरोही/टोंक/
उदयपुर/दौसा/स.माधोपुर/हनुमानगढ/बारां/
राजसमन्द/भीलवाडा।

विषय :– महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण हेतु दिनांक 18.05.2016 को काउंसलिंग की जाकर प्रवेश देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण कोर्स सत्र 2015–16 में चयन के लिए 18.05.2016 को काउंसलिंग की जानी है जिसके लिए निम्नलिखित प्रकिया अपनायी जावे :–

1. चयन विज्ञप्ति कमांक : प्रशिक्षण/म.स्वा.का./2015–16/1680 दिनांक 30.12.2015 में उल्लेखित योग्यता एवं शर्तो के अनुरूप ही किया जावे।
2. चयन पूर्णतया प्राप्तांको के प्रतिशत की मेरिट के अनुसार ही किया जावे।
3. आरक्षित अभ्यर्थियों को चयन में विज्ञप्ति में दर्शायी गयी सीटों के अनुरूप ही अजा0/अजजा0/अन्य पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग के अभ्यथियों को आयु में नियमानुसार 5 वर्ष की छूट दी जावे।
4. विशेष पिछडा वर्ग के अभ्यथियों को 5 प्रतिशत आरक्षण देय होगा।
5. समान प्रतिशत के अभ्यर्थियों की स्थिति में अधिक आयु वाली अभ्यर्थी चयन योग्य होगी।
6. निःशक्त अभ्यर्थियों को तीन प्रतिशत आरक्षण (एक पैर से विकलांग) विकलांग श्रेणी में होरिजेण्टल/वरीयता के आधार पर देय होगा। 40 प्रतिशत से कम निःशक्तता होने पर आरक्षण का लाभ देय नही होगा तथा प्रमाण पत्र तीन वर्ष से पुराना नही होना चाहिए।
7. शैक्षणिक योग्यता बाबत् माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जारी नवीनतम अनुदेशिका तथा उसके द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप मान्य शैक्षणिक संस्थान से सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, जिसके लिए उनके द्वारा प्रकाशित विवरणिका को आधार माना जावे। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. स्पेशल अपील संख्या 534/05 द्वारा स्टेट ऑफ राजस्थान वगैरा बनाम फिरदोस तरन्नुम में दिनांक 20.01.2006 को पारित निर्णय की पालना में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के आदेश कमांक : मान्यता/ईक्यू/1045 दिनांक 05.07.2011 एवं पत्रांक 2042 दिनांक 17.11.2011 के कम में राज्य सरकार की आई.डी. संख्या 586 दिनांक 18.07.2014 के अनुमोदनानुसार जामिया उर्दु अलीगढ बोर्ड से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इस प्रशिक्षण की प्रवेश प्रकिया में शामिल नही किया जावेगा।
8. प्रोविजनल मेरिट के अनुसार जितने अभ्यार्थी चयन हेतु लिये जाने उसके 5 गुणा अभ्यर्थियों को काउंसलिंग हेतु बुलाया जावे। उनके कॉल लैटर पर यह अवश्यक अंकित कर दे कि यह प्रवेश का पत्र नही है। निर्धारित सीटों की संख्या के 5 गुणा अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। अतः मेरिट के अनुसार ही उपलब्ध सीटों पर प्रवेश दिया जा सकेगा। कॉल लैटर अभ्यार्थियों को रजि0 डाक द्वारा भिजवाया जाकर दिनांक 18.05.2016 को काउंसलिंग हेतु बुलाया जावे।
9. काउंसलिंग करने हेतु निम्नलिखित कमेटी गठित की जाती है :–

i.	संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	अध्यक्ष।
ii.	संबंधित जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य।
iii.	संबंधित नर्सिंग अधीक्षक/ प्रभारी, म.स्वा.का. प्रशिक्षण केन्द्र	सदस्य।
iv.	संबंधित जिला कलेक्टर का एक प्रतिनिधि	सदस्य।

इनमें से यदि कोई उपलब्ध नही होने पर उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को शामिल किया जावे।

10. काउंसलिंग के दौरान चयन अंतिम चयन होगा, चयनित अभ्यर्थियों को चयन पत्र आदि दिये जावे एवं उसी दिन से प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जावे। चयन हेतु बुलाये गये समस्त 5 गुणा अभ्यर्थियों को सूची मय चयन आदेश व चयन समिति की रिपोर्ट के अगले दिन गोपनीय बन्द लिफाफे में निम्न हस्ताक्षरकर्ता को विशेष पत्र वाहक के साथ आवश्यक रूप से भिजवावें, अन्यथा इसको गंभीर माना जावेगा।

11. काउंसलिंग में बुलाये गये अभ्यर्थियों जिनका चयन नही हुआ है, वे प्रतीक्षा सूची में रहेंगे। प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को रिक्त रही सीटों पर प्रवेश इस निदेशालय से लिखित अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही देवे।

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण में चयनोपरान्त सूचना निम्न निर्धारित प्रपत्र में विशेष पत्र वाहक के साथ अगले कार्यदिवस को आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

सवर्ग	सामा.	ओबीसी	एसबीसी	अनु. जाति	अनु. जनजाति	टीएसपी (एसटी)	सहरिया	टीएसपी (एससी)	(क्षैतिज आधार) होरिजेन्टल बेसिस पर				
									आं0बा0 कार्य0	मिलट्री/ पैरामिलट्री/ पुलिस मृतक कर्मियो की विधवाओं/	अन्य श्रेणी की विधवाओं एव तलाकशुदा अभ्यर्थी	विकलांग श्रेणी ओएल (एक पैर)	विभागीय चर्तुथ श्रेणी कर्मचारी
चयन का न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत													
चयनित अभ्यर्थियों की संख्या													
रिक्त सीटों की संख्या													
अन्य विवरण													

12. प्रशिक्षण में प्रवेशित अभ्यर्थियों से उनके मूल दस्तावेज ज्योइनिंग के समय जमा कर लिये जावे तथा उनके मूल दस्तावेजों का संबंधित बोर्ड/संस्थान से सत्यापन कराया जाना सुनिश्चित करे और इनका सत्यापन हो जाने के बाद सही पाये जाने पर ही अभ्यर्थी को लौटाया जावे। यदि किसी अभ्यर्थी का कोई प्रमाण पत्र/अंकतालिका/अन्य दस्तावेज फर्जी पाया जावे तो अभ्यर्थी को अपनी स्थिती स्पष्ट करने का अवसर देते उसके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करायी जावे और प्रशिक्षण से पृथक करके निदेशालय को सूचित किया जावे।

13. काउंसलिंग में अभ्यर्थियों को अपने मूल प्रमाण पत्रादि शैक्षणिक/जन्मतिथी/जाति प्रमाण पत्र/चरित्र प्रमाण पत्र/विकलांगता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई बिन्दु स्पष्ट नही हो रहा हो तो तत्संबंधी मार्गदर्शन इस निदेशालय से तुरन्त प्राप्त कर लेवे।

14. काउंसलिंग हेतु आरक्षण की श्रेणीवार निर्धारित सीटों के 5 गुणा अभ्यर्थियों को उनके मेरिट के अनुसार बुलाया जाना है। जिसके लिए उन्हे पत्र दिनांक 10.05.2016 तक आवश्यक रूप से जारी किये जावें तथा काउंसलिंग में बुलाये गये अभ्यर्थियों की सूची आपके कार्यालय के नोटिस बोर्ड जिला कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर, संबंधित संयुक्त निदेशक (जोन) तथा जिला रोजगार अधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावे। इसी के साथ बुलाये गये अभ्यर्थियों की आरक्षण श्रेणीवार न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत का प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जावे।

15. किसी भी तरह की अनियमितता के लिए संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

16. संबंधित जिला कलेक्टर से सम्पर्क कर उनके प्रतिनिधी का आदेश करवाने का दायित्व संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का होगा।

17. अभ्यर्थी को पूर्णरूपेण स्वस्थ्य होना अनिवार्य है, जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षण में ज्वाईनिंग के समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थी चयन के समय यदि

गर्भवती पाई जाती है तो उसको आगामी बैच में पुनः आवेदन किये बिना, प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जावेगा बशर्ते की अभ्यर्थी चयन हेतु पूर्ण रूप से पात्रता रखती हो।

ह0
(श्याम लाल गुर्जर)
अति0 निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः प्रशि./म.स्वा.कार्य./एफ 46 पार्ट II/2015–16/ 381 दिनांक : 3/5/16

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्क कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, मा. मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।,
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राज. जयपुर।
4. संबंधित जिला कलेक्टर को प्रेषित कर लेख है कि अपना एक प्रतिनिधी उक्त काउंसलिंग में भिजवाने का श्रम करे।
5. संबंधित जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
7. प्रभारी सर्वर कक्ष को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभाग की बेवसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को ई–मेल करने का श्रम करे।
8. कार्यालय प्रति।

(श्याम लाल गुर्जर)
अति0 निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर